न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी

अपूर्वा परवाल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 219/2023

प्रेमलता पत्नि किशनलाल जाति रेगर सा.हरिओम सदन , खानपुरा रोड , सुभाष नगर अजमेर

..प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन ......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :– स्वयं उपस्थित – प्रार्थीया

श्री मोती लाल – पडोसी खातेदार

–: निर्णय :– दिनांक 27.10.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र वास्ते दुरूस्ती के अन्तर्गत धारा 136 भू. रा. अधिनियम 1956 का इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया हैं, कि ग्राम पीसांगन तहसील पीसांगन में वर्तमान नक्शे में खसरा संख्या 2935/7110 के स्थान पर 2935/6056 हो गया जो कि गलत अंकन हैं जबकि नामान्तकरण संख्या 2375 के पुस्त पर नजरी नक्शे में सही अंकन हैं, जिस अनुसार वर्तमान नक्शे में दुरूती करते हुए खसरा संख्या 2935/7110 के स्थान पर 2935/6056 तथा खसरा सख्या 2935/6056 के स्थान पर 2935/7110 वर्तमान जमांबदी में अंकित रकबे के अनुसार किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार पीसांगन को वास्ते रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी। तहसीलदार पीसांगन से रिपोर्ट प्राप्त हुए।

मैनें पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का तथा तहसीलदार पीसांगन की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार पीसांगन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया ने उक्त आराजी कय अनुसार नामान्तकरण संख्या 2375 के दिनांक 05.12.2014 के अनुसार खासरा संख्या 2935/7110 रकबा 0.20 हैक्टेयर पर मूल खातेदार मोती पुत्र रूपा जाति कुमावत के स्थान पर जरिये बेचान प्रार्थीया के नाम का अंकन स्वीकार हुआ एवं नामान्करण की पुश्त पर नजरी नक्शा बना हुआ है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा नक्शे के पूर्वी हिस्से में जबकि वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में उक्त नजरी नक्शे के विपरीत स्थिति में हैं अतः दुरूस्ती किया जाना उचित है। प्रार्थीया के मूल एवं पडोसी खातेदार श्री मोती पुत्र रूपा जाति कुमावत स्वयं उपस्थित हुए एवं उक्त दुरूस्ती किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकाकर किया जाता है। **तहसीलदार पीसांगन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम पीसांगन तहसील पीसांगन वर्तमान राजस्व रिकार्ड नक्शे में खसरा संख्या 2935/7110 के स्थान पर 2935/6056 तथा खसरा संख्या 2935/6056 के स्थान पर 2935/7110 वर्तमान जमांबदी में अंकित रकबे के अनुसार किया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 27.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी
पीसांगन (अजमेर)

Scanned with CamScanner